संशोधित पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. चि.प्र./क्लि.एस.एक्ट /2019/ 338 दिनांकः 18/10/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः—राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एव विनियमन) नियम 2013 के अन्तर्गत सभी चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला के **पंजीकरण की अंतिम तिथि 15.11.2019** करने के क्रम मे।

संदर्भः—निदेशालय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये के पत्र क्रमाक चि.प्र./क्लि.एस एक्ट/2019/228–37 दिनाक 02.07.19 व चि.प्र./क्लि.एस.एक्ट/2019/306 दिनाक 30.08.19 एव चि.प्र./क्लि.एस.एक्ट/2019/319 दिनाक 13.09.2019 के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव सदर्भित परिपत्र के क्रम मे लेख है कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एव विनियमन) अधिनियम 2010 राजस्थान राज्य द्वारा अगीकृत किया हुआ है। उक्त अधिनियम की धारा 54 के तहत् नियम बनाकर अधिसूचना जारी कर राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एव विनियमन) नियम 2013 लागू कर दिये गये।

केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला हेतु न्यूनतम मानक को निर्धारित करते हुए नैदानिक स्थापन (केन्द्र सरकार) नियम 2018 की अधिसूचना जारी की गई जिनको राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अत समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारियो को निर्देशित किया गया था कि जिले मे स्थापित चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला का राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एव विनियमन) नियम 2013 एव नैदानिक स्थापन (केन्द्र सरकार) नियम 2018 के प्रावधानो के अन्तर्गत अस्थाई एव स्थाई पजीकरण 15.10.2019 तक करना सुनिश्चित किया गया था।

ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में तकनीकी कारणों से उक्त पंजीकरण की अंतिम तिथि 01.01.2020 तक बढाई जाती है। यदि ऑनलाईन पंजीकरण में तकनीकी कारणों से समस्या आती है तो ऑफलाईन पंजीकरण किया जा सकता है। यदि उक्त अवधि के पश्चात् भी कोई चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला बिना पजीकरण सचालित है तो उक्त नियमो मे निर्धारित दड (Penalty) के अनुसार कार्यवाही की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरात जारी किये जा रहे है।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमाक. चि.प्र./क्लि.एस.एक्ट /2019/ 338 दिनांकः 18/10/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मत्री, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
6. समस्त सयुक्त निदेशक जोन, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को समस्त सम्बन्धित को मेल व वेबसाईट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करावे।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर